# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 298 / 2022

1. सहीराम पुत्र हरफूल
2. करण सिंह पुत्र गणपत
3. चावली पत्नी प्रभू सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

———आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह, जाति जाट, निवासी घरड़ाना खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
2. उपखण्ड अधिकारी महोदय, बुहाना।

—— अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र बाबत कराने हस्तानान्तरण प्रकरण सं0 02 / 2022 सरकार बनाम ओमप्रकाश पार्टी सं0 1 व कर्ण सिंह वगै0 पार्टी सं0 2 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0सं0 लम्बित उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय, बुहाना के न्यायालय से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित किसी भी अन्य न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय के यहां।

— — —

उपस्थितः—

1. श्री शिव हरि प्रसाद, अभिभाषक— आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. अनावेदक सं0 1 स्वयं उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक सं0 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है कि उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय बुहाना, के यहां लम्बीत है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 07.09.2022 में नियत है। वादग्रस्त भू—खण्ड प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे का है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज है जिसका बिना कियसी बाधा या रूकावट के कदीम से उपयोग—उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के भू—खण्ड का क्षैत्रफल लगभग 241.94 वर्गगज है जिसके प्रार्थीगण ने तारबाड़ कर रखी है। पार्टी सं0 1 ओमप्रकाश का पुत्र रोहिताश्व राव एक भू—माफिया एवं मुकदमा बाज किस्म का व्यक्ति है, उसका उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय बुहाना से याराना है, वह आये दिन ग्राम घरड़ाना खुर्द में लोगो को घौस देता रहता है कि उसका एस0डी0एम0 बुहाना से दोस्ती है वह [illegible] करवा सकता है तथा किसी की भी जमीन या प्लाट पर वह एस0डी0एम0 बुहाना के बल [illegible] कर सकता है। उक्त रोहिताश्व राव घरडाना खुर्द ने एस0डी0एम0 बुहाना से [illegible] उसके समक्ष अपने पिता ओमप्रकाश पार्टी सं0 1 से एक बनाव[illegible] धारा 145 सी0आर0पी0सी0 तैयार कराकर पेश कर उसे पुलिस थाना [illegible] वासकर सिंघाना थान[illegible] रसाधक पर एस0डी0एम0 बुहाना का नाजायज प्रेशर लगवाकर उसमें प्रार्थीगण के खिलाफ एक [illegible] श्रीमान एस0डी0एम0 बुहाना के यहां दिनांक 17.06.2022 को पेश करवा लिया तथा उसी रोज श्रीमान एस0डी0एम0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

साहब बुहाना ने प्रार्थीगण को बिना मौका दिये ही एक तरफा आदेश पारित थानाधिकारी सिंघाना को अंतरीम रूप से रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। प्रश्नगत भू–खण्ड प्रार्थीगण के कदीमी मालिकाने एवं कब्जे का है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज होकर उसमें अपना घरेलू जलाउ ईधन, पशुओं का गोबर डालने के काम में लेते आ रहे है। उक्त भूखण्ड से अप्रार्थी ओमप्रकाश पार्टी सं0 1 का कोई लेना देना नही है। आये दिन पार्टी सं0 1 व उसके पुत्र रोहिताश्व राव श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना के कार्यालय में बैठे रहते है। गांव में थोडी सी भी बात होती है तो श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना उनके कहने मात्र से पुलिस घरड़ाना खुर्द में आ जाती है। इसलिए प्रार्थीगण को श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना से न्याय की आशा नही है। वह निश्चित रूप से प्रार्थी के प्रश्नगत भू–खण्ड को अप्रार्थी को इस अवैध माध्यम से दिलवा देगा जिससे भविष्य में प्रार्थीगण के समक्ष कई प्रकार की पेचिदगीयां उत्पन्न होगी जिससे भारी हकतलफी होगी। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रकरण सं0 02/2022 सरकार बनाम औमप्रकाश पार्टी सं0 1 व कर्ण सिह वगै0 पार्टी सं0 2 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0सं0 उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय, बुहाना के यहां से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित किसी भी अन्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां ट्रांन्सफर करने की कृपा करे व उपखण्ड अधिकारी को तत्काल आदेश दिया जावे कि वह इस पत्रावली में कोई आदेश पारित नही करे व पत्रावली को इस न्यायालय में तुरन्त भेजे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी बुहाना से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने पत्रांक 334 दिनांक 11.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 1 कानूनी होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड सं0 2 अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र का बिन्दू सं0 3 अस्वीकार है। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाव नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपसी मामला अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 4 अस्वीकार है। गैरसायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करने पर इसकी जांच थानाधिकारी सिंघाना से विधि सम्मत् करवाई गई। थानाधिकारी प्रकरण विधिसम्मत् जांच/साक्ष्य लिये जाकर मय अपना शपथ पत्र सहित प्रकरण अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण साक्ष्य मे विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा प्रकरण मे साक्ष्य सबूत लिये जाकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है कि प्रकरण बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का एक प्रशासक के साथ–साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र मे कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखे। उक्त प्रकरण मे न्यायालय को ऐसा लगा कि विवादित भूमि को कब्जेराज नही लिये जाने पर मौके पर कानून व्यवस्था बिगड सकती है। इसलिए न्यायालय द्वारा प्रकरण मे मौके पर दोनों पक्षों मे कानून व शान्ति बनाये रखने हेतु विवादित भूमि को तक तक कब्जेराज लिया जावे तब तक मौके पर शान्ति व्यवस्था बन जावे या प्रकरण मे अन्तिम निर्णय पारित न हो जावे है। चूंकि प्रकरण मे अभी तक किसी प्रकार कोई निर्णय पारित नही किया गया। प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 19.10.2022 नियत है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 6 अस्वीकार है। इसका जबाब खण्ड 3 व 4 मे दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 7 का जबाब दिया जाना आवश्यक नही है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 8 कानूनी है स्वीकार है। अतः प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अंकित तथ्य आधारहीन है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई संबंध सरोकार एवं दबाब नही है। अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

उलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज करने की कृपा करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भू–खण्ड प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे का है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज है जिसका बिना कियसी बाधा या रूकावट के कदीम से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के भू–खण्ड का क्षैत्रफल लगभग 241.94 वर्गगज है जिसके प्रार्थीगण ने तारबाड़ कर रखी है। पार्टी सं0 1 ओमप्रकाश का पुत्र रोहिताश्व राव एक भू–माफिया एवं मुकदमा बाज किस्म का व्यक्ति है, उसका उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय बुहाना से याराना है। वह आये दिन ग्राम घरड़ाना खुर्द में लोगो को घौस देता रहता है कि उसका एस0डी0एम0 बुहाना से दोस्ती है वह किसी के भी प्लाट पर कब्जा करवा सकता है तथा किसी की भी जमीन या प्लाट पर वह एस0डी0एम0 बुहाना के बल पर कब्जा कर सकता है। उक्त रोहिताश्व राव घरडाना खुर्द ने एस0डी0एम0 बुहाना से सांठगांठ करके दिनांक 15.03. 2022 को उसके समक्ष अपने पिता ओमप्रकाश पार्टी सं0 1 से एक बनावटी एवं कूटरचित प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 145 सी0आर0पी0सी0 तैयार कराकर पेश कर उसे पुलिस थाना सिघाना का प्रेषित करवासकर सिंघाना थाना के भारसाधक पर एस0डी0एम0 बुहाना का नाजायज प्रेशर लगवाकर उसमें प्रार्थीगण के खिलाफ एक इस्तगासा श्रीमान एस0डी0एम0 बुहाना के यहां दिनांक 17.06.2022 को पेश करवा लिया तथा उसी रोज श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना ने प्रार्थीगण को बिना मौका दिये ही एक तरफा आदेश पारित थानाधिकारी सिंघाना को अंतरीम रूप से रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। प्रश्नगत भू–खण्ड प्रार्थीगण के कदीमी मालिकाने एवं कब्जे का है जिस पर वह अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज होकर उसमें अपना घरेलू जलाउ ईधन, पशुओं का गोबर डालने के काम में लेते आ रहे है। उक्त भूखण्ड से अप्रार्थी ओमप्रकाश पार्टी सं0 1 का कोई लेना देना नही है। आये दिन पार्टी सं0 1 व उसके पुत्र रोहिताश्व राव श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना के कार्यालय में बैठे रहते है। गांव में थोडी सी भी बात होती है तो श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना उनके कहने मात्र से पुलिस घरड़ाना खुर्द में आ जाती है। इसलिए प्रार्थीगण को श्रीमान एस0डी0एम0 साहब बुहाना से न्याय की आशा नही है। वह निश्चित रूप से प्रार्थी के प्रश्नगत भू–खण्ड को अप्रार्थी को इस अवैध माध्यम से दिलवा देगा जिससे भविष्य में प्रार्थीगण के समक्ष कई प्रकार की पेचिदगीयां उत्पन्न होगी जिससे भारी हकतलफी होगी। अतः प्रकरण सं0 02/2022 सरकार बनाम औमप्रकाश पार्टी सं0 1 व कर्ण सिह वगै0 पार्टी सं0 2 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0सं0 उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय, बुहाना के यहां से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित किसी भी अन्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां ट्रांन्सफर करने की कृपा करे व उपखण्ड अधिकारी को तत्काल आदेश दिया जावे कि वह इस पत्रावली में कोई आदेश पारित नही करे व पत्रावली को इस न्यायालय में तुरन्त भेजे।

स्वयं अप्रार्थी सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया तथा कथन किया कि अदालत मातहत मे विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय एस0डी0एम0 बुहाना द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव व पक्षपात नही किया गया। एस0डी0एम0 बुहाना का किसी राजनैतिक व पार्टी से कोई सरोकार एवं दबाव नही है। एस0डी0एम0 बुहाना प्रकरण मे निष्पक्ष होकर न्यायसंगत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर निर्णय करते है। प्रार्थना पत्र कतई बेबुनियाद, आधारहीन होने से स्वीकार नही है। गैरसायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र

एस0डी0एम0 बुहाना के समक्ष प्रस्तुत करने पर इसकी जांच थानाधिकारी सिंघाना से विधि सम्मत् करवाई गई। थानाधिकारी प्रकरण विधिसम्मत् जांच/साक्ष्य लिये जाकर मय अपना शपथ पत्र सहित प्रकरण अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण साक्ष्य मे विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा प्रकरण मे साक्ष्य सबूत लिये जाकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य कतई गलत दर्ज किये है कि प्रकरण बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना मे विचाराधीन मुकदमा प्रकरण सं0 02/2022 सरकार बनाम औमप्रकाश पार्टी सं0 1 व कर्ण सिह वगै0 पार्टी सं0 2 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 145 द0प्र0सं0 का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested